

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/ए-2/राजेन्द्र दुबे/2019 दिनांक: 14.08.2019 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलसाना जिला सीकर को आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया था। तत्पश्चात श्री दुबे को विभागीय आदेश दिनांक 24.08.2019 द्वारा राउमावि लूणा खुर्द, पोकरण जिला जैसलमेर पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार दुबे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17285/2019 राजेन्द्र कुमार दुबे बनाम राजस्थान राज्य दायर की गई।

याचिका संख्या 17285/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.08.2019 तथा 24.10.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलसाना जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर पदस्थापित श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, प्रधानाचार्य, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर में दिया जाना सुनिश्चित करें।

  
(हिमांशु गुप्ता)  
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/राजेन्द्र दुबे/17285/2019 दिनांक: 13.12.19  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)